

हुई। उक्त वर्णित आराजीयात भंवरलाल जी के जमाने से ही चली आ रही है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के यहां जन्म लेते ही हक अधिकार निहित हुए तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्सा निहित है। इसी अनुसार काबिज काशत चले आ रहे हैं। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से इसी अनुसार अपना हिस्सा नाम कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये इसलिए मजबूरन वादीगण को यह दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री किया जावे तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्सा विवादित भूमि में घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा वादीगण के कथनों को स्वीकार करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया। उभय पक्ष ने राजीनामों अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने नकल जमाबन्दी संवत् 2073-76 ग्राम भावलिया की खाता संख्या 262, 263 व 264 की प्रतियां प्रस्तुत की है। राजस्व रेकार्ड अनुसार उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ललित कुमार पिता भंवरलाल के नाम दर्ज रेकार्ड है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में सगे भाई बहिन होकर प्रतिवादी संख्या 1 की जाइन्दा संतान है। विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है जो उक्त भूमि को पुश्तैनी स्वीकार करते हुए अपनी संतानों को बराबर बराबर हक हिस्सा देने हेतु सहमत है। वादीगण का दावा राजीनामों अनुसार डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादीगण राजीनामों अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा भावलिया की खाता संख्या 262 की आराजी नं. 181, 193, 525, 526, 871, 872 कुल किता 6 कुल रकबा 9.8100 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 264 की आराजी नं. 409, 503, 558 कुल किता 3 कुल रकबा 2.6400 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 का 1/6, वादी संख्या 2 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। वाके मौजा भावलिया की खाता संख्या 263 को यथावत रखा जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 11.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा



मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 05/2020 वाद

1. उदयलाल पिता ललित कुमार ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
2. राजमल पिता ललित कुमार ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
- वादीगण

//बनाम//


1. ललित कुमार पिता भंवरलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
2. बलराज पिता ललित कुमार ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
3. हरिशंकर पिता ललित कुमार ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
4. मांगी बाई पिता ललित कुमार ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा। - प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

प्रकरण में आज दिनांक को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया की तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नाहर सिंह छाजेड़ की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस के लिए प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा भावलिया की खाता संख्या 262 की आराजी नं. 181, 193, 525, 526, 871, 872 कुल किता 6 कुल रकबा 9.8100 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 264 की आराजी नं. 409, 503, 558 कुल किता 3 कुल रकबा 2.6400 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 का 1/6, वादी संख्या 2 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। वाके मौजा भावलिया की खाता संख्या 263 को यथावत रखा जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 11.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

